रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270863
CG-DL-E-12032026-270863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947
No. 163] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

सा.का.नि. 169.(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 132 के अधीन गठित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 में, 'उपाबंध' में, "ख. लेखा मानक" शीर्षक के अंतर्गत, उपशीर्षक लेखा मानक (एएस) 22 में, -

(क) पैरा 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"2क. यह मानक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा प्रकाशित स्तंभ दो मॉडल नियमों को लागू करने के लिए अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर विधि से उत्पन्न आय पर करों पर लागू होता है, जिसमें कर विधि शामिल है जो उन नियमों में वर्णित अर्हित घरेलू न्यूनतम टॉप-अप करों को लागू करता है। ऐसी कर विधि, और इससे उत्पन्न आय पर करों को इसके पश्चात 'स्तंभ दो विधि' और 'स्तंभ दो आयकर' कहा जाएगा। इस मानक में उल्लिखित अपेक्षाओं के अपवाद के रूप में, किसी उद्यम को स्तंभ दो

आयकर से संबंधित आस्थगित कर आस्तियों और भागीदारी के बारे में जानकारी न तो पहचानना चाहिए और न ही प्रकट करना चाहिए।";

(ख) पैरा 32 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार स्तंभ-दो-मॉडल नियम

32क. *किसी उद्यम को यह प्रकटन करना चाहिए कि उसने स्तंभ दो आयकर से संबंधित आस्थगित कर आस्तियों और भागीदारी के बारे में जानकारी को पहचानने और प्रकट करने के अपवाद को लागू किया है (पैरा 2क देखें)।*

32ख. *किसी उद्यम को स्तंभ दो आयकर से संबंधित अपने वर्तमान कर व्यय (आय) का अलग से प्रकट करना चाहिए।*

32ग. *उन अवधियों में जिनमें स्तंभ दो विधि अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, किंतु अभी तक प्रभावी नहीं है, एक उद्यम को ज्ञात या यथोचित रूप से अनुमानित जानकारी का प्रकटन करना चाहिए जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उस विधायन से उत्पन्न स्तंभ दो आयकर के लिए उद्यम के अनुभव को समझने में मदद करता है।*

32घ. पैरा 32ग में उल्लिखित प्रकटीकरण उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी उद्यम को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्तंभ दो आयकर के प्रति अपने अनुभव के बारे में गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी प्रकट करनी चाहिए। इस जानकारी को स्तंभ दो विधान की सभी विशिष्ट अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करने की अपेक्षा नहीं है और इसे सांकेतिक सीमा के रूप में प्रदान किया जा सकता है। यदि जानकारी ज्ञात नहीं है या उचित रूप से अनुमेय नहीं है, तो उद्यम को इसके बजाय इस आशय का एक विवरण प्रकट करना चाहिए और अपने अनुभव का आकलन करने में उद्यम की प्रगति के बारे में जानकारी का प्रकटन करना चाहिए।

पैरा 32ग-32घ को स्पष्ट करता उदाहरण
पैरा 32ग-32घ में उल्लिखित उद्देश्य और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई उद्यम निम्नलिखित जानकारी प्रकट कर सकता है: (क) गुणात्मक जानकारी जैसे कि यह जानकारी कि कोई उद्यम स्तंभ दो विधायन से कैसे प्रभावित होता है, और मुख्य क्षेत्राधिकार जिसमें स्तंभ दो आयकर संबंधी अनुभव विद्यमान हो सकते हैं; तथा (ख) मात्रात्मक जानकारी जैसे: (i) किसी उद्यम के लाभ के उस अनुपात का संकेत जो स्तंभ दो आयकर के अध्यधीन हो सकता है और उन लाभों पर लागू औसत प्रभावी कर दर; या (ii) यह संकेत कि यदि स्तंभ दो विधायन प्रभावी होता तो उद्यम की औसत प्रभावी कर दर में कितना परिवर्तन होता।

परंतु लघु और मध्यम आकार की कंपनी पैरा 32ग और 32घ में अधिकथित प्रकटीकरण अपेक्षाओं को लागू नहीं कर सकती है।"

(ग) पैरा 34 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्रभावी तारीख

35. अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार के स्तंभ दो मॉडल नियम में, पैरा 2क और 32क-32घ जोड़े गए हैं। एक उद्यम को चाहिए कि:

(क) इन संशोधनों के जारी होने पर पैरा 2क और 32क को तुरंत और पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाए; और

(ख) 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए पैरा 32ख-32घ लागू करें। किसी उद्यम को 31 मार्च 2026 को या उससे पहले समाप्त होने वाली किसी भी अंतरिम अवधि के लिए इन पैरा द्वारा अपेक्षित जानकारी का प्रकटन करने की अपेक्षा नहीं है।"

[फा.सं.17/51/2013-सीएल-V(भाग)]

बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव

टिप्पण: कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), में क्रमांक सा.का.नि.432(अ), तारीख 23 जून, 2021 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2026

G.S.R. 169 (E).— In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority constituted under section 132 of the said Act, hereby makes the following rules to amend the Companies (Accounting Standards) Rules,2021, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, in the Annexure, under the heading B. Accounting Standards, under the sub-heading Accounting Standard (AS) 22, —

(a) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"2A. This Standard applies to taxes on income arising from tax law enacted or substantively enacted to implement the Pillar Two model rules published by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), including tax law that implements qualified domestic minimum top-up taxes described in those rules. Such tax law, and the taxes on income arising from it, are hereafter referred to as 'Pillar Two legislation' and 'Pillar Two income taxes'. As an exception to the requirements in this Standard, an enterprise should neither recognise nor disclose information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes.";

(b) after paragraph 32, the following paragraphs shall be inserted, namely: -

"**International tax reform—Pillar Two model rules**

32A. An enterprise should disclose that it has applied the exception to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes (see paragraph 2A).

32B. An enterprise should disclose separately its current tax expense (income) related to Pillar Two income taxes.

32C. In periods in which Pillar Two legislation is enacted or substantively enacted but not yet in effect, an enterprise should disclose known or reasonably estimable information that helps users of financial statements understand the enterprise's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation.

32D. To meet the disclosure objective in paragraph 32C, an enterprise should disclose qualitative and quantitative information about its exposure to Pillar Two income taxes at the end of the reporting period. This information does not have to reflect all the specific requirements of the Pillar Two legislation and can be provided in the form of an indicative range. To the extent information is not known or reasonably estimable, an enterprise should instead disclose a statement to that effect and disclose information about the enterprise's progress in assessing its exposure.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Examples illustrating paragraphs 32C–32D
Examples of information an enterprise could disclose to meet the objective and requirements in paragraphs 32C– 32D include: (a) qualitative information such as information about how an enterprise is affected by Pillar Two legislation and the main jurisdictions in which exposures to Pillar Two income taxes might exist; and (b) quantitative information such as: (i) an indication of the proportion of an enterprise's profits that might be subject to Pillar Two income taxes and the average effective tax rate applicable to those profits; or (ii) an indication of how an enterprise's average effective tax rate would have changed if Pillar Two legislation had been in effect.

Provided that a Small and Medium-sized Company may not apply the disclosure requirements laid down in paragraphs 32C and 32D.";

(c) after paragraph 34 and before Illustration I, the following paragraph shall be inserted, namely: —

"**Effective date**

35. *International Tax Reform—Pillar Two Model Rules*, added paragraphs 2A and 32A–32D. An enterprise should:

(a) apply paragraphs 2A and 32A immediately upon the issue of these amendments and retrospectively; and

(b) apply paragraphs 32B–32D for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2025. An enterprise is not required to disclose the information required by these paragraphs for any interim period ending on or before 31 March 2026.".

[F. No. 17/51/2013-CL-V (Pt.)]

BALAMURUGAN D, Jt. Secy.

Note : The Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 432(E), dated the 23rd June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.12 14:29:20 +05'30'
UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance